FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0142 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 05/06/2025 19:16 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 07/05/2025 Date To (दिनांक तक): 04/06/2025

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 15:00 बजे Time To (समय तक): 12:10 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 05/06/2025 Time (समय): 16:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 003 Date & Time (दिनांक एवं समय) 05/06/2025 19:16:46 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): EAST, 100 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): NYAYALAYA PARISAR KHETRI, JILA JHUNJHUNU

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** GIRVAR SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAGHUVEER SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1983 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM AGVANA KALA, SURAJ GARH, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM AGVANA KALA, SURAJ GARH, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MUKESH KUMAR MEENA		पिता:RAMKARAN MEENA	1. GRAM ROOPWAS,JAMVARAMGARH,JAIPUR

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 10,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

संक्षिप्त हालात इस प्रकार है कि दिनांक 07.05.2025 को परिवादी श्री गिरवर सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह जाति राजपूत उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम अगवाना कलां पुलिस थाना व तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनूं ने चौकी पर उपस्थित होकर मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष एक लिखित प्रार्थना-पत्र मय स्वयं की पहचान के रुप में आधार कार्ड की फोटोप्रति एवं स्वयं के नाम रजिस्टर्ड वाहन पिकअप नं. आरजे 18 जीसी 1343 की फोटो प्रति के प्रस्तुत किया। परिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि "मैं ग्राम अगवाना कला का रहने वाला होकर लकडी कटाई एवं मेरी पिकअप गाडी नम्बर आरजे -18 जीसी 1343 से लकडी ढुलाई का कार्य खेतडी रेन्ज क्षेत्र में करता हूं। श्री मुकेश मीणा रेन्जर रेन्ज खेतडी जिला झुन्झूनूं मेरे से मेरे द्वारा किये जा रहे लकडी के व्यापार (कटाई एवं परिवहन) में कोई रोकटोक नहीं करने एवं मेरी पिकअप गाडी को नहीं पकडने की एवज में दस हजार रुपयों की मांग कर रहा है एवं कहता है कि मेरे को मंथली के रुप में दस हजार रुपये नहीं दोगे तो मैं आपका व्यापार बन्द करवा दूंगा तथा तेरे को और तेरी गाडी को मुकदमें में बन्द कर दूंगा। श्री मुकेश मीणा रेन्जर रेन्ज खेतडी जिला झुन्झुनूं मेरे को नाजायज रुप से परेशान कर रिश्वत की मांग कर रहा है, मैं श्री मुकेश मीणा रेन्जर रेन्ज खेतडी जिला झुन्झुनूं को मंथली के रुप में रिश्वत नहीं देकर रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। मेरी श्री मुकेश मीणा रेन्जर रेन्ज खेतडी जिला झुन्झुनूं से कोई उधार या रंजिश नहीं है, कानूनी कार्यवाही करें। " मजिद दरियाफ्त पर परिवादी श्री गिरवर सिंह ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा टाईप करवाकर लाना बताया व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का सही होना बताते हुये श्री मुकेश मीणा, रेन्जर, रेन्ज खेतडी जिला झुन्झुनूं से पहले की कोई रंजिश अथवा उधार लेनदेन नहीं होना बताया। प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों व मजिद दरियाफ्त से मामला प्रथम द्रष्टया रिश्वत लेन-देन का पाया जाने पर अग्रिम कार्यवाही शुरु की गई। रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर एवं नया मेमोरी कार्ड के मंगवाया जाकर परिवादी श्री गिरवर सिंह को डीवीआर चालू व बन्द करने की विधि समझाई गई व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर का कार्यालय के लेपटॉप में चलाकर देखा गया तो पूर्व की कोई वार्ता रिकॉर्ड होना नहीं पाई गई। कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के श्री अशोक कुमार हैड कानि. नं.76 को सुपुर्द कर रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु श्री अशोक कुमार हैड कानि. नं.76 के साथ परिवादी श्री गिरवर सिंह को मुनासिब हिदायत दी जाकर समय 04.30 पीएम पर खेतडी रवाना किया गया। दिनांक 09.05.2025 को समय 02.00 पीएम पर श्री अशोक कुमार हैड कानि. मय परिवादी श्री गिरवर सिंह के उपस्थित कार्यालय आया एवं डीवीआर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मैं एवं परिवादी श्री गिरवर सिंह एसीबी कार्यालय से दिनांक 07.05.2025 को रवाना होकर उसी दिन शाम को रेन्जर कार्यालय रेन्ज खेतडी के पास पहुंचे जहाँ परिवादी ने गोपनीय रुप से मालूम किया तो संदिग्ध का कार्यालय में नहीं होना पाया गया। जिस पर मैं आपके द्वारा जरिये दुरभाष दिये गये निर्देशानुसार खेतडी क्षेत्र में हीं मुकीम रहा। दिनांक 08.05.2025 को परिवादी ने संदिग्ध श्री मुकेश मीणा, रेन्जर का मालूम किया तो रेन्जर का किसी कार्यवाही में व्यस्त होना पाया गया। जिस पर मैं आपके द्वारा जरिये दुरभाष दिये गये निर्देशानुसार खेतडी क्षेत्र में हीं मुकीम रहा। आज दिनांक 09.05.2025 को परिवादी ने गोपनीय रुप से मालूम किया तो संदिग्ध का अपने कार्यालय में होना पाया गया जिस पर मैं एवं परिवादी रेन्जर कार्यालय रेन्ज खेतडी के पास करीब 10.00 एएम पर पहुंचे, जहाँ मैने डीवीआर चालु करके परिवादी को सुपुर्द किया। जिसे परिवादी लेकर रेन्ज कार्यालय खेतडी के अन्दर चला गया। मैं रेन्जर कार्यालय के बाहर ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम रहा। थोडी देर बाद परिवादी के आने पर मैने उससे डीवीआर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी ने मेरे को बताया कि मेरी श्री मुकेश मीणा, रेन्जर से रिश्वत के संबंध में बातचीत हो गयी है। इसके पश्चात मै एवं परिवादी वहां मे रवाना होकर आपके पास कार्यालय में आ गये। परिवादी श्री गिरवर सिंह ने श्री अशोक कुमार हैड कानि. के कथनों की ताईद करते हुये बताया कि मैने आज दिनांक 09.05.2025 को आपके कार्यालय के श्री अशोक कुमार हैड कानि. से डीवीआर प्राप्त कर रेन्जर कार्यालय के अन्दर जाकर श्री मुकेश मीणा, रेन्जर से मेरी पिकअप गाडी को लकडी परिवहन करते समय रोक-टोक नहीं करने के सम्बन्ध में वार्ता की तो उसने मेरे से 25 हजार मन्थली रिश्वत की मांग की एवं मेरे द्वारा रुपये कम करने की कहने पर 10 हजार रुपये लेने की बात पर सहमत हुआ। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डीवीआर को चालू कर सुना गया तो परिवादी एवं संदिग्ध के मध्य बातचीत होना पाया, परन्तु उक्त वार्ताओं में रिश्वत मांग सत्यापन सम्बन्धी वार्ताए मिश्रित आवाज होने एवं स्पष्ट सुनाई नहीं देने के कारण आईन्दा रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन किया जाना सुनिश्चित

कर डीवाआर में से रिकॉर्डेड वार्ता के मेमोरी कार्ड को निकालकर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित आलमारी मे रखा। परिवादी श्री गिरवर सिंह को मुनासिब हिदायत कर रुखसत किया गया। दिनांक 14.05.2025 को परिवादी श्री गिरवर सिंह ने जरिये दूरभाष मन् पुलिस निरीक्षक से सम्पर्क कर दिनांक 15.05.2025 को रेन्जर श्री मुकेश मीणा से बात करने की कही तथा कार्यालय के किसी कर्मचारी के साथ रिकॉर्डर भिजवाने की कही, जिस पर दिनांक 15.05.2025 को श्री महेश कुमार हैड कानि. 48 को कार्यालय कक्ष में तलब कर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मंगवाकर, डिवीआर का खाली होना सुनिश्चित कर इस गोपनीय कार्यवाही में पूर्व में काम में लिये गये मेमोरी कार्ड, जिसको पूर्व में मेरी आलमारी में सुरक्षित रखा गया था, को आलमारी से निकालकर डीवीआर में डालकर श्री महेश कुमार हैड कानि. को डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर परिवादी श्री गिरवर सिंह के मोबाईल नम्बर दिये जाकर परिवादी श्री गिरवर सिंह के पास गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु मुनासिब हिदायत कर खेतडी के लिये रवाना किया गया। उसी दिन समय 5.30 पीएम पर श्री महेश कुमार हैड कानि. 48 उपस्थित कार्यालय आया एवं डीवीआर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि एसीबी कार्यालय से रवाना होकर कस्बा खेतडी पहुंचकर मैने परिवादी श्री गिरवर सिंह से जरिये दुरभाष सम्पर्क किया तो वो मुझे खेतडी मे बस स्टैण्ड के बाहर मौजुद मिला। उसके पश्चात मै परिवादी के साथ परिवादी की गाडी से रवाना होकर रेन्जर कार्यालय, खेतडी के पास करीब 12.50 पीएम पर पहुंचे, जहाँ परिवादी ने संदिग्ध आरोपी श्री मुकेश मीणा, रेन्जर का पता लगाने के लिये अपने मोबाईल फोन से उसके मोबाईल फोन पर कॉल किया तो श्री मुकेश मीणा, रेन्जर ने परिवादी को अजित हॉस्पिटल के पास मिलने के लिये कहा। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डीवीआर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात परिवादी एवं मैं परिवादी की गाडी से अजित हॉस्पिटल के पास पहुंचे। जहाँ मैने डीवीआर मय मेमोरी कार्ड चालु करके परिवादी को सुपुर्द किया। परिवादी डीवीआर प्राप्त कर अपनी गाडी में ही बैठा रहा तथा मैं गाडी से थोडी दूर अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम रहा। थोडी देर बाद परिवादी अपनी गाडी को चलाकर 100 मीटर दूर जेल की तरफ फोन पर वार्ता करता हुआ चला गया। परिवादी की गाडी के पीछे- पीछे मैं भी परिवादी की गाडी के आस-पास मुकीम हो गया। जहाँ परिवादी की गाडी में एक व्यक्ति ड्राईवर की सीट के बगल वाली आगे की सीट पर आकर बैठ गया एवं परिवादी से वार्ता करने लग गया। थोडी देर बाद उक्त व्यक्ति परिवादी की गाडी से नीचे उतरकर चला गया। परिवादी अपनी गाडी लेकर मेरे पास आ गया एवं डीवीआर को बन्द करके मुझे सुपुर्द कर दिया। जिसे मैने अपने पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी ने मेरे को बताया कि मेरे श्री मुकेश मीणा, रेन्जर से रिश्वत के सम्बन्ध में वार्ता हो गया है एवं रेन्जर ने मेरे से 5000 रुपये आज भी लिये है। परिवादी ने मेरे को बताया कि मेरे आवश्यक कार्य होने से मैं आपके साथ सीकर नहीं चल सकता। मुझे समय मिलेगा तब मैं आपके कार्यालय सीकर में उपस्थित हो जाउंगा। उसके पश्चात मै परिवादी को खेतडी कस्बे में ही छोडकर रवाना होकर आ गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डीवीआर को चालू कर सुना गया तो परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं हैड कानि. द्वारा बताये गये कथनों के क्रम में रिश्वत मांग की पुष्टि हुई। डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित आलमारी में रखा। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री गिरवर सिंह से जरिये मोबाईल वार्ता करने पर परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं आपके कार्यालय के श्री महेश कुमार को कस्बा खेतडी में बस स्टेण्ड के बाहर मौजुद मिल गया था। उसके पश्चात मैं एवं श्री महेश कुमार मेरी गाडी से रवाना होकर रेन्जर कार्यालय खेतडी के पास करीब 12.50 पीएम पर पहुंचे, जहाँ पर मैने श्री मुकेश मीणा, रेन्जर से अपने मोबाईल फोन से उसके मोबाईल फोन पर कॉल किया तो श्री मुकेश मीणा, रेन्जर ने मुझे अजित हॉस्पिटल के पास मिलने के लिये कहा। उक्त वार्ता को श्री महेश कुमार ने मेरे से मेरे मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर डीवीआर में रिकॉर्ड किया। उसके बाद मैं एवं श्री महेश कुमार मेरी गाडी से अजित हॉस्पिटल के पास पहुंचे जहाँ श्री महेश कुमार ने रिकॉर्डर चालू करके मुझे दिया। मैने श्री महेश कुमार से डीवाआर प्राप्त कर अपनी गाडी में ही बैठा रहा तथा श्री महेश कुमार मेरी गाडी से उतरकर चला गया। थोडी देर बाद श्री मुकेश मीणा, रेन्जर ने मेरे से मोबाईल से वार्ता कर मेरे को थोडा आगे जेल की तरफ बुलाकर मेरी गाडी में मेरे बगल की आगे की सीट पर आकर बैठ गया एवं मेरे से मेरे कार्य के सम्बन्ध में वार्ता करने लग गया। मेरी पिकअप गाडी को लकडी परिवहन करते समय अपने क्षेत्र में बिना रोकटोक के जाने की एवज में इस महिने के पन्द्रह हजार रुपये मंथली के एवं अगले महीने से 10,000 रुपये मंथली के लेने पर सहमत हुआ। इस महिने की मंथली के 10,000 रुपये मैं श्री मुकेश मीणा, रेन्जर को पूर्व में ही भिजवा चुका था तथा शेष 5000 रुपये श्री मुकेश मीणा, रेन्जर ने मेरे से वार्ता के दौरान प्राप्त कर लिये। इस प्रकार श्री मुकेश मीणा, रेन्जर ने मेरे से इस महिने की मंथली के 15,000 रुपये प्राप्त कर चुका है। अगले महीने की मंथली के 10,000 रुपये देने के लिए मैं दो-तीन जून को उसके कार्यालय में जाउंगा। जिस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत की। दिनांक 03.06.2025 को परिवादी श्री गिरवर सिंह ने जरिये दूरभाष मन् पुलिस निरीक्षक से सम्पर्क कर दिनांक 04.06.2025 को श्री मुकेश मीणा, रेन्जर उसकी मांग के अनुसरण में मंथली के 10,000 रुपये देने की कहते हुये कस्बा खेतडी में आकर ही अग्रिम कार्यवाही करने की कही, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री गिरवर सिंह को हिदायत की गई कि कल सुबह दिनांक 04.06.2025 को रेंज कार्यालय खेतडी जाने से पहले 10,000 रुपये की रिश्वत राशि की व्यवस्था करके कस्बा खेतडी में मौजुद मिलें। तत्पश्चात कार्यालय सहायक अभियंता, (सीएसडी तृतीय) अ.वि.वि.नि.लि., सीकर से स्वतंत्र गवाह श्री सुभाष कुमार हाल सहायक वाणिज्यिक सहायक-प्रथम एवं श्री रघुवीर सिंह गढवाल

तकनिशियन-प्रथम को तलब किया जाकर दिनांक 04.06.2025 को सुबह 07.00 एएम पर चौकी कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत कर रुखसत किया गया। दिनांक 03.06.2025 को पूर्व से पाबंध शुदा स्वतंत्र गवाह श्री सुभाष कुमार एवं श्री रघुवीर सिंह गढवाल उपस्थित कार्यालय आने पर समय 07.40 एएम पर फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से श्रीमती सुशीला कानि. नं. 107 से निकलवाकर सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाकर श्री मूलचन्द एचसी नं. 123, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386, श्रीमती सुनिता एचसी नं. 43, श्री मनोज कुमार एचसी नं. 134, श्रीमती सुशीला कानि. नं. 107 मय सुरेश कुमार चालक मय श्री विजय कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को इमदाद हेतु सरकारी वाहन से तथा पुलिस निरीक्षक सुभाष मील मय स्वतंत्र गवाहान श्री सुभाष कुमार, श्री रघुवीर सिंह गढवाल, स्टाफ के श्री राजेन्द्र प्रसाद एचसी नं. 87, श्री महेश कुमार एचसी नं. 48, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568 जरिये प्राईवेट वाहन से मय रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड, ट्रेप बॉक्स एवं लेपटॉप मय प्रिन्टर व डीवीआर मय नया मेमोरी कार्ड को साथ लेकर एसीबी कार्यालय से रवाना होकर परिवादी श्री गिरवर सिंह से जरिये मोबाईल सम्पर्क करते हुये समय 09.50 एएम पर कस्बा खेतडी में बस स्टेण्ड के पास पोलो ग्राउण्ड पहुंचा जहाँ परिवादी श्री गिरवर सिंह मौजुद मिला। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा वाहनों को साईड में रुकवाकर परिवादी से आवश्यक पूछताछ की तो परिवादी ने दिनांक 15.05.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान जरिये दुरभाष मन् पुलिस निरीक्षक को बताये गये कथनों की ताईद की। परिवादी श्री गिरवर सिंह एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री सुभाष कुमार, श्री रघुवीर सिंह गढवाल का आपस में परिचय करवाया जाकर स्वतंत्र गवाहान को परिवादी का प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया तथा प्रार्थना पत्र पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान से मामले में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री गिरवर सिंह ने हिदायत देने पर संदिग्ध आरोपी श्री मुकेश मीणा, रेन्जर, रेन्ज, खेतडी जिला झुन्झुनूं को रिश्वत के रुप में दिये जाने वाले पॉच-पॉच सौ रुपये के 20 नोट कुल 10,000 रुपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है:- 1. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 7UQ 390459 2. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 2TT 484468 3. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 1DG 576429 4. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 6EM 460519 5. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 8AQ 318654 6. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 4WG 717331 7. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 5AV 620564 8. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 4KT 564106 9. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 1KP 723182 10. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 2KB 411472 11. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 1RL 398525 12. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 8NE 926557 13. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 7SW 424550 14. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 2AP 444654 15. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 2AP 444655 16. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 2AP 444656 17. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 2AP 444657 18. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 2AP 444658 19. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 2AP 444659 20. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 2AP 444660 फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड से श्रीमती सुशीला कानि. नं. 107 से निकलवाकर उपरोक्त समस्त नोटो को वाहन के बोनट पर अखबार बिछाकर श्रीमती सुशीला कानि. नं. 107 से हस्ब कायदा फिनॉफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री सुभाष कुमार से परिवादी श्री गिरवर सिंह की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनॉफ्थलीन पाउडर लगे 10,000 रुपयों के नोटो को श्रीमती सुशीला कानि. नं. 107 से परिवादी श्री गिरवर सिंह की पहने हुये कुर्ते की साईड की दाहिनी जेब में रखवाकर परिवादी श्री गिरवर सिंह को रास्ते में इन रुपयों को नहीं छुने व आरोपी से मिलने पर आरोपी से हाथ नहीं मिलाने एवं आरोपी से अपने काम के संबंध में बात करने तथा आरोपी द्वारा मांग किये जाने पर स्वयं की जेब में रखे पाउडर लगे उक्त रुपये निकालकर उसे देने तथा आरोपी द्वारा रिश्वत स्वीकार कर प्राप्त कर लेने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर अथवा अपने मोबाईल फोन से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर [redacted] पर मिस कॉल देकर ईशारा करने की हिदायत दी गई। इसके बाद एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें थोडा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो पानी का रंग नहीं बदला इस घोल में श्रीमती सुशीला, महिला कानि. 107 जिसने नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया, के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार प्रदर्शन करवाकर दोनो पाउडरों फिनोफ्थलीन एवं सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी श्री गिरवर सिंह व दोनों स्वतंत्र गवाहान को समझाया गया। श्रीमती सुशीला, महिला कानि. 107 से प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल को फिंकवाकर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास एवं अखबार जिस पर रुपयों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया था, को जलाकर नष्ट करवाया गया। परिवादी श्री गिरवर सिंह, दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवायी जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गयी। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत समझाईस कर मुनासिब हिदायत की गयी। कार्यालय डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर उक्त डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को श्री महेश कुमार हैड कानि. को सुपुर्द कर हिदायत की गयी कि परिवादी जब संदिग्ध के पास रिश्वत लेन देन

हेतु जाये उससे पूर्व डीवीआर को चालू करके परिवादी श्री गिरवर सिंह को सुपुर्द करें। परिवादी को हिदायत की गई कि जब संदिग्ध के पास रिश्वत लेनदेन हेतु जाने से पूर्व श्री महेश कुमार हैड कानि. से डीवीआर प्राप्त करके संदिग्ध के साथ होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करे। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी गवाहान की मौजुदगी में श्रीमती सुशीला, महिला कानि. 107 को सुपुर्द कर एसीबी कार्यालय सीकर पहुंचने की मुनासिब हिदायत दी जाकर रवाना किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी, सुपुर्दगी नोट भारतीय मुद्रा व द्रष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 11.30 एएम पर परिवादी श्री गिरवर सिंह की उसके मोबाईल नं. [redacted] से आरोपी के मोबाईल नं. [redacted] पर जरिये वाट्सअप पर वार्ताए की गई तो आरोपी ने परिवादी को न्यायालय परिसर, खेतड़ी के अन्दर बुलाया। उक्त वार्ताओं को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर डीवीआर में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात परिवादी एवं श्री महेश कुमार हैड कानि. को परिवादी की कार से एवं मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के सरकारी व प्राईवेट वाहन से रवाना होकर न्यायालय परिसर खेतड़ी के मुख्य द्वार के बाहर पहूंचा जहॉ वाहनों को साईड में खड़ा करवाकर श्री महेश कुमार हैड कानि. से डीवीआर चालू करवाकर परिवादी श्री गिरवर सिंह को सुपुर्द करवाकर परिवादी श्री गिरवर सिंह को मुनासिब हिदायत कर न्यायालय परिसर खेतड़ी के अन्दर रवाना किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के न्यायालय परिसर के मुख्य द्वार के बाहर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ। समय 12.10 पीएम पर न्यायालय परिसर खेतड़ी के मुख्य द्वार के बाहर सड़क पर मुकिम मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी श्री गिरवर सिंह न्यायालय परिसर खेतड़ी के अन्दर से अपने सिर पर हाथ फेरकर पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराहियान ट्रेप पार्टी को साथ लेते हुये परिवादी के पास न्यायालय परिसर खेतड़ी के मुख्य द्वार पर पहुंचा। जहॉ पर परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को अपने आगे-आगे सफेद शर्ट व नीली पेन्ट पहने हुये व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि "यहीं मुकेश मीणा, रेन्जर है, जिन्होने अभी-अभी मेरे से मेरी पिकअप गाड़ी को लकड़ी परिवहन करते समय अपने क्षेत्र में बिना रोकटोक के जाने की एवज में इस महिने के 10,000 रुपये मंथली के रुप में अपने हाथों से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की साईड की बांई जेब में रखे है। " इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा संदिग्ध आरोपी को अपना व हमराहियान का परिचय देते हुये उससे परिचय एवं परिवादी से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो उक्त व्यक्ति ने घबराते हुये अपना नाम श्री मुकेश कुमार मीणा, रेन्जर, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं होना बताते हुये कहा कि " मैने कोई रुपये नहीं लिये है, फिर कहा कि मैने तो श्री इन्द्राज से उधार के लिये है, फिर कहा कि श्री गिरवर सिंह से उधार लिये है।" मौके पर उपस्थित श्री इन्द्राज से इस बाबत पूछने पर बताया कि " मैने गिरवर सिंह से रुपये लेकर श्री मुकेश कुमार मीणा रेन्जर को दिये है, फिर कहा कि श्री गिरवर सिंह ने मुकेश कुमार मीणा को रुपये दिये है। " मौके पर उपस्थित परिवादी श्री गिरवर सिंह ने आरोपी मुकेश कुमार मीणा एवं श्री इन्द्राज के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि "श्री मुकेश कुमार मीणा पिछले महीने की मंथली के रुप में 15,000 रुपये मेरे से पूर्व में ले चुका है तथा रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 15.05.2025 को हुई बातचीत के अनुसरण में आज मैने मुकेश कुमार से मोबाईल पर वार्ता की तो इन्होने मुझे न्यायालय परिसर में बुलाया, मेरे न्यायालय परिसर में पहुंचने पर मेरा एवं मुकेश मीणा, रेन्जर का जानकार श्री इन्द्राज पुत्र राजाराम मिल गया। न्यायालय परिसर में मैं एवं इन्द्राज दोनों आपस में बातचीत करते रहे इसी दौरान श्री मुकेश मीणा, रेन्जर न्यायालय के मुख्य भवन से निकलकर न्यायालय परिसर में हमारे पास आ गये जहाँ पर मैने श्री मुकेश मीणा, रेन्जर के मांगने पर अपनी कुर्ते की जेब में पाउडर लगे 10,000 रुपये निकालकर श्री मुकेश मीणा, रेन्जर को दे दिये। श्री मुकेश मीणा, रेन्जर ने 10,000 रुपये अपने हाथों से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की साईड की बांई जेब में रख लिये। इसके पश्चात मैने आपको ईशारा कर दिया। " मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा, रेन्जर का दाहिना हाथ कलाईयों के उपर से श्री कैलाशचन्द कानि. 568 से एवं बायां हाथ श्री महेश कुमार हैड कानि. 48 से कलाईयों के उपर से पकड़वाये गये। परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को डीवीआर सुपुर्द किया, जिसे बन्द करके मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रख लिया। न्यायालय परिसर का मुख्य द्वार होने एवं मुख्य सड़क होने के कारण मौके पर भीड़ भाड़ की स्थिति होने के कारण आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा, रेन्जर को ज्यो की त्यो स्थिति में पकड़े हुये न्यायालय के मुख्य द्वार से पैदल-पैदल मय टीम, परिवादी एवं श्री इन्द्राज के रवाना होकर न्यायालय के सामने स्थित पुलिस थाना खेतड़ी पहुंचकर अग्रिम कार्यवाही शुरु की गई। तत्पश्चात आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा, रेन्जर को तसल्ली देकर परिवादी श्री गिरवर सिंह से रिश्वत राशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में पूछा तो श्री मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि " श्री गिरवर सिंह की पूर्व में पिकअप गाड़ी को लकड़ी परिवहन करते हुये मैने पकड़कर चालान भरा था, जिसके कारण इसने मेरे को रंजिश वश पकड़वाया है। मैने इससे कोई रिश्वत नहीं ली है। " श्री इन्द्राज से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम श्री इन्द्राज पुत्र श्री राजाराम जाति माली उम्र 50 वर्ष निवासी वार्ड नं. 08, बड़ा मौहल्ला, सिंघाना जिला झुन्झुनूं मो. नं.[redacted]होना बताया। श्री इन्द्राज को आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा द्वारा परिवादी श्री गिरवर सिंह से रिश्वत लेने के संबंध में पूछा तो उसने बताया कि "आज मैं मेरे निजी कार्य से खेतड़ी न्यायालय में आया हुआ था, जहाँ पर मेरे को मेरे पूर्व के परिचित श्री गिरवर सिंह मिल गये। हम दोनों आपस में बातचीत करते रहे इसी दौरान श्री मुकेश कुमार मीणा, रेन्जर साहब भी हमारे पास आ गये। बातचीत के

दौरान श्री गिरवर सिंह ने अपनी जेब से निकालकर पॉच-पॉच सौ रुपये के नोट श्री मुकेश कुमार मीणा को दिये। जिन्होने रुपये प्राप्त करके अपने हाथों से जेब में रख लिये। थोडी देर बाद न्यायालय के गेट पर आपने श्री मुकेश कुमार मीणा, रेन्जर को पकड़ लिया। शुरु में आपके द्वारा मेरे से पुछने पर मै घबरा गया था, इसलिये मैने कहा था कि दस हजार रुपये मैने श्री मुकेश कुमार मीणा को उधार दिये है। तत्पश्चात श्री मूलचन्द एचसी के दोनो हाथों एवं दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर गिलासों में साफ पानी भरवाकर थोड़ा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा रेन्जर के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैला हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा रेन्जर के बांये हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। दोनो हाथो के उक्त धोवन को अलग-अलग दो-दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा-आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क आरएच-1 एवं आरएच-2 से तथा बांये हाथ के धोवन को मार्क एलएच-1 व एलएच-2 से सील्ड किया गया। प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासो को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा रेन्जर की पहनी हुई पैन्ट की जामा तलाशी गवाह श्री सुभाष कुमार से लिवाई गई तो आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा रेन्जर की पहनी हुई पैन्ट की साईड की दाहिनी जेब में से एक पर्स व मोबाईल फोन मिला। पर्स में श्री मुकेश कुमार मीणा, का आधार कार्ड व विभागीय परिचय पत्र मिला। गवाह श्री सुभाष कुमार द्वारा श्री मुकेश कुमार मीणा रेन्जर की पहनी हुई पैन्ट की साईड की बांयी जेब की तलाशी में पॉच-पॉच सौ रुपये के कुछ नोट मिले। उक्त नोटो को गवाह श्री सुभाष कुमार से गिनवाया गया तो पॉच-पॉच सौ रुपये के 20 नोट कुल 10,000 रुपये होना बताया। उक्त नोटो के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहों से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरुप पाये गये। बरामद नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित करवाकर बरामद नोटों को एक सफेद कागज पर सिलवाकर सील्ड किया गया। आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा रेन्जर को दूसरा पायजामा उपलब्ध करवाकर उसकी पहनी हुई पेन्ट को पेश करने की हिदायत देने पर उसने अपनी पहनी हुई पैन्ट निकालकर पेश की। तत्पश्चात श्री मूलचन्द एचसी के दोनो हाथों एवं एक नये प्लास्टिक के दो डिस्पोजल गिलास को साबुन व पानी से धुलवाकर गिलास में पानी व सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन ही रहा। उक्त रंगहीन घोल में आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा रेन्जर की पहनी हुई पेन्ट की साईड की बांयी जेब को उलटवाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों को साबुन व पानी से धुलवाकर उनमें आधा-आधा डलवाकर भरवाकर शीशीयों को सीलबन्द व चिट चस्पा कर मार्क पीडब्ल्यू-1 एवं पीडब्ल्यू-2 अंकित किया गया। प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा रेन्जर की पैन्ट बरंग नीली के साईड की बांयी जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पैन्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड करवाकर पैकेट पर मार्क "पी" अंकित संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त किया गया। दौराने ट्रैप कार्यवाही लिये गये धोवन की सील्ड शीशीयां आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1, एलएच-2, पीडब्ल्यू-1 एवं पीडब्ल्यू-2,आरोपी रैन्जर की पहनी हुई पैन्ट के सील्ड पैकेट मार्क पी एवं सफेद कागज पर सील्ड रिश्वती राशि पर मुताकलीन के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी रखा गया। कार्यवाही के दौरान श्री कैलाशचन्द कानि. न.386 से सरकारी मोबाईल फोन में नया मैमोरी कार्ड SANDISK 64 GB डलवाकर विडियोग्राफी करवाई गयी। उक्त मोबाईल फोन को श्री कैलाशचन्द कानि. न.386 से लेपटॉप के माध्यम से दूसरा मेमोरी कार्ड SANDISK 64 GB में विडियोग्राफी को डाउनलोड किया जाकर पहले वाले मूल मेमोरी कार्ड को मोबाईल फोन से निकालकर एक सफेद कागज मे लपेटकर एक माचिस की खाली डिब्बी में रखकर सील्ड मोहर कर मार्क "वीजी"अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। एवं दूसरे मेमोरी कार्ड को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। सरकारी मोबाईल से बनाई गई विडियोग्राफी में मोबाईल फोन की दिनांक एवं समय सही सैट/अपडेट नहीं होने के कारण विडियोज के समय एवं दिनांक सही समय व दिनांक से भिन्न प्रदर्शित है। आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा, रेन्जर की पैन्ट की जामा तलाशी के दौरान मिले मोबाईल फोन का अवलोकन किया गया तो पाया कि उक्त मोबाईल ओपो कम्पनी बरंग "ग्रे" जिसके लॉक पिन 1987 है। जिसमें एक सिम नं.[redacted] (एयरटेल) व दूसरी सिम नं. [redacted] (जिओ) लगी हुई है। उक्त मोबाईल में वाट्सअप सिम [redacted] (एयरटेल) का अवलोकन किया गया। जिसमें आरोपी के वाट्सअप मोबाईल नं. [redacted] पर परिवादी श्री गिरवर सिंह के मोबाईल नं. [redacted] से वाट्सअप पर हुई वार्ता के स्क्रीन शॉट लिये जाकर आरोपी के मोबाईल को लेपटॉप से जोड़कर स्क्रीन शॉट का प्रिन्ट निकालकर पृष्ट संख्या 01 से 08 तक अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी के मोबाईल को स्वीच ऑफ करके एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर मार्क "एमबी" अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द धुलाई हाथ एवं बरामदगी रिश्वती राशि पृथक से तैयार की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री गिरवर सिंह द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 09.05.2025 एवं 15.05.2025 को आरोपी आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा रेन्जर, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं से आमने सामने व मोबाईल पर हुई बातचीत को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड

में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को मय मैमोरी कार्ड को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री महेश कुमार हैड कानि. नं. 48 से कार्यालय के लेपटॉप में जुड्वाकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड से उपरोक्त वार्ताओं को सुना जाकर वार्ता का फर्द रुपान्तरण एवं हिन्दी अनुवाद श्री महेश कुमार हैड कानि. नं. 48 से करवाया गया। उक्त वार्ताओं में परिवादी श्री गिरवर सिंह ने स्वयं की व आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा रेन्जर, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, खेतडी जिला झुन्झुनूं की आवाज होना पहचान की। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 09.05.2025 में वार्ताए मिश्रीत होने एवं अस्पष्ट होने के कारण उक्त वार्ता का फर्द रुपान्तरण नहीं किया गया। चार खाली सीडी लेकर उक्त वार्ताओ को लेपटॉप की सहायता से चारों सीडीयों में वार्ताओ की पृथक-पृथक कॉपी/बर्न कर सीडी तैयार की गई। मांग सत्यापन में प्रयोग किये गये उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड SANDISK 32 GB एवं दो सीडीयों की लेपटॉप की सहायता से श्री महेश कुमार हैड कानि. नं. 48 से FTK IMAGER से सॉफ्टवेयर से अलग-अलग हैश वैल्यु निकलवाकर हैश वैल्यु पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। लेपटॉप से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर हटाकर उसमें से मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड SANDISK 32 GB निकालकर मेमोरी कार्ड को एक सफेद कागज मे लपेटकर एक माचिस की खाली डिब्बी में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "ए" अंकित किया गया। तैयार की गई चार सीडीयों में से हैश वैल्यू निकाली गई एक सीडी पर मार्क "ए-1" एवं दूसरी सीडी पर मार्क "ए-2" अंकित कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर पृथक-पृथक प्लास्टिक के कवर में डालकर पृथक-पृथक सफेद कपडे की थैली में सील्ड किया गया एवं कपडे की थैली पर मार्क "ए-1" एवं "ए-2" अंकित कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडी आरोपी एवं अन्वेषण हेतु खुली रखी गई। तत्पश्चात परिवादी श्री गिरवर सिंह द्वारा दौराने रिश्वत लेन देन दिनांक 04.06.2025 को आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा, रेन्जर, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, खेतडी, जिला झुन्झुनूं से मोबाईल पर एवं आमने-सामने हुई बातचीत को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री महेश कुमार हैड कानि. नं. 48 से कार्यालय के लेपटॉप में जुड्वाकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड से रिकॉर्डेड वार्ता को सुना जाकर वार्ता का फर्द रुपान्तरण एवं हिन्दी अनुवाद श्री महेश कुमार हैड कानि. नं. 48 से करवाया गया। उक्त वार्ताओं में परिवादी श्री गिरवर सिंह ने स्वयं की व आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा, रेन्जर, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, खेतडी, जिला झुन्झुनूं व श्री इन्द्राज की आवाज होना पहचान की। चार खाली सीडी लेकर उक्त वार्ताओं को लेपटॉप की सहायता से चारों सीडीयों में वार्ताओं की पृथक-पृथक कॉपी/बर्न कर सीडी तैयार की गई। रिश्वत लेनदेन वार्ता में प्रयोग किये गये उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड SANDISK 64 GB एवं दो सीडीयों की लेपटॉप की सहायता से श्री महेश कुमार हैड कानि. नं. 48 से FTK IMAGER से सॉफ्टवेयर से अलग-अलग हैश वैल्यु निकलवाकर हैश वैल्यु पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। लेपटॉप से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर हटाकर उसमें से रिश्वत लेन देन वार्ता का मेमोरी कार्ड SANDISK 64 GB निकालकर मेमोरी कार्ड को एक सफेद कागज मे लपेटकर एक माचिस की खाली डिब्बी में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " बी " अंकित किया गया। तैयार की गई चार सीडीयों में से हैश वैल्यू निकाली गई एक सीडी पर मार्क "बी-1 " एवं दूसरी सीडी पर मार्क " बी-2 " अंकित कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर पृथक-पृथक प्लास्टिक के कवर में डालकर पृथक-पृथक सफेद कपडे की थैली में सील्ड किया गया एवं कपडे की थैली पर मार्क " बी-1 " एवं "बी-2 " अंकित कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडी आरोपी एवं अन्वेषण हेतु खुली रखी गई। सील्ड पैकेटो को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा, रेन्जर, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, खेतडी,जिला झुन्झुनूं को जरिये फर्द हस्ब कायदा गिरफ्तार किया गया। वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता की ट्रांसक्रिप्सन में श्री इन्द्राज पुत्र श्री राजाराम जाति माली उम्र 50 वर्ष निवासी वार्ड नं. 08, बड़ा मौहल्ला, सिंघाना जिला झुन्झुनूं द्वारा परिवादी एवं आरोपी से वार्ता की गई है। उक्त प्रकरण में श्री इन्द्राज की संलिप्तता विस्तृत अनुसंधान से स्पष्ट हो पायेगी। मौके की कार्यवाही पूर्ण होने पर परिवादी श्री गिरवर सिंह एवं श्री इन्द्राज को मुनासिब हिदायत कर रुखसत किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा, रेन्जर, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, खेतडी,जिला झुन्झुनूं मय जप्त शुदा वजह सबुत मय हमराहियान के सरकारी एवं प्राईवेट वाहन के पुलिस थाना खेतडी से रवाना होकर एसीबी चौकी सीकर पहुंचा। प्रकरण से संबंधित वजह सबूत जमा मालखाना करवाया गया। की गई कार्यवाही के आधार पर आरोपी श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री रामकरण मीणा, उम्र 34 वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम रुपवास, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर हाल रेन्जर, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, खेतडी जिला झुन्झुनूं द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुये परिवादी श्री गिरवर सिंह से उसकी लकडी की पिकअप गाडी बिना कोई रोकटोक के चलने देने के लिये रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 15.05.2025 को 5000 रुपये परिवादी से लेकर कुल 15,000 रुपये बतौर मंथली के रुप में आना स्वीकार करते हुये आगे से 10,000 रुपये प्रतिमाह मंथली के रुप में बतौर रिश्वत की मांग करना तथा माग के अनुशरण में दिनांक 04.06.2025 को परिवादी श्री गिरवर सिंह से 10,000 रुपये मंथली के रुप बतौर रिश्वत प्राप्त करना प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया जाता है। आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा, रेन्जर, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, खेतडी,जिला झुन्झुनूं का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण

अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपी श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री रामकरण मीणा, उम्र 34 वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम रुपवास, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर हाल रेन्जर, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं के विरुद्ध अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है। (सुभाष मील) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर.......................कार्यवाही पुलिस.....................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुभाष मील, पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)में आरोपी श्री मुकेश कुमार मीणा पुत्र श्री रामकरण मीणा, उम्र 34 वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम रुपवास, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर हाल रेन्जर, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेश चन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,झुन्झुनूं को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 663 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 829-32 दिनांक 5.06.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, झुन्झुनूं 2.प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर, 3. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर चतुर्थ, 4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सीकर।पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Suresh Chand **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 05/06/2025 19:[illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1991				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)